प्रथम वित्त समिति की गंगटोक में दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

1. सिक्किम विश्वविद्यालय की वित्त समिति की प्रथम बैठक सिनक्लेर होटल में दिनांक 8 फरवरी 2009 को 10.00 बजे आयोजित की गई थी ।
2. इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपिस्थत थे ।

सदस्य		
1.	प्रो. महेन्द्र पी.लामा, उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	
2.	श्री एम.पी. बेजबरूआ, अवैतनिक निदेशक, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, सी- 24 कुतुब संस्थानिक क्षेत्र कुतुब होटल के पीछे नई दिल्ली - 110016	
3.	श्री अर्जुन स्यांग्देन पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक, अक्षय तारा अपार्टमेंट्स खंड संख्या 6, फ्लैट संख्या 9 2 ½ माइल, सेवक रोड सिलीगुड़ी - 734401	
विशेष आमंत्रित सदस्य		
4.	श्री एस.एस महलावत अवर सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115	
विश्वविद्यालय से सांविधिक अधिकारीगण		
5.	श्री एस.के.सरकार रजिस्ट्रार सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक 737102	
6.	श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	

3. श्री टी.जी दोर्जी, अपर मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार, समिति के सदस्य ने अपने पूर्व-निर्धारित कार्यों के कारण बैठक में उपस्थित होने की असमर्थता व्यक्त की । यद्यपि उन्होंने आश्वस्त किया कि बैठक के दौरान समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर उनकी सहमति होगी । समिति द्वारा श्री टी.जी.दोर्जी की भावना का आभार किया गया तथा व्यक्त किया गया कि भविष्य की बैठकों में उनकी भागीदारी से विश्वविद्यालय अतिशय लाभान्वित होगा ।

4. आरंभ में, उप कुलपति ने समिति के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2007 में अपने निमार्ण से विभिन्न शैक्षाणिक क्षेत्रों में की गई प्रगति पर एक पावर-प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया । उपकुलपति ने समिति के सदस्यों की जानकारी में लाया कि सिक्किम विश्वविद्यालय प्रत्येक मामलों में पारदर्शी पद्धतियों का अनुसरण करता है तथा इसे भ्रष्टाचार विहीन संस्थान बनाया गया है । समिति विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अब तक की विशाल प्रगति से प्रभावित थी ।

5. उपकुलपति द्वारा समिति को सूचित किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, वित्त समिति में नौ सदस्य होंगे, जिनमें से पांच बैठक हेतु कोरम होंगे । तथापि़ निम्नलिखित सदस्यों को नामित,/नियुक्त किया जाना है:

   1. प्रो-वाइस चान्सलर (सदस्य)
   2. एस सदस्य न्यायालय द्वारा नामित किया जाएगा
   3. तीन सदस्यों का आगन्तुकों द्वारा नामित किया जाएगा

   स्थति पर विचार करते हुए समिति के प्रति वर्त्तमान में कार्यकारी परिषद द्वारा नामितों सहित सदस्यों की संख्या 4 (उपकुलपति सहित) है । अत: अभिप्रेत आनुपातिक कोरम 3 सदस्यों की होगी । इस प्रकार, उपस्थित 3 सदस्य इस वित्त समिति की बैठक हेतु कोरम की पूर्त्ति करते हैं । उपकुलपति द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि सदस्यों के शीघ्र नामित किए जाने से संबंधित मामला भारत सरकार के साथ पहले ही उठाया गया है ।

6. तत्पश्चात पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण वित्त अधिकारी द्वारा निधि प्रवाह एवं बजट प्राकल्लन के संबंध में दिया गया, जिसकी समिति के सदस्यों द्वारा सरहाहना की गई । प्रणालियों एवं पद्धतियों के अब तक के निष्पादन में वित्त अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करते हुए समिति ने उन्हें इस दिशा में अगले आवश्यक सभी कदमों को उठाने का परामर्श दिया, ताकि विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम वित्तीय अनुशासनों के अनुसरण हेतु समर्थ बनाया जा सके ।

7. इसके बाद कार्यसूची की मदों को विचार-विमर्श हेतु लिया गया ।

समूह - I स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

एफ सी: 01:01	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु वार्षिक बजटें

01.1 समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार किया गया । समिति को सूचित किया गया वर्ष 2008-09 के लिए बजट प्राक्कलन कार्यकारी परिषद द्वारा इनके अगस्त 2008 में आयोजित प्रथम बैठक में पूर्व में अनुमोदित किया गया है । वत्तर्मान में प्रसतुत बजट प्राक्कलन युनिवर्सिटी द्वारा यू जी सी के प्रति नवम्बर एवं दिसम्बर 2008 में किए गए प्रेक्षपणों तथा यू जी सी द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए आवंटनों पर आधारित है । समिति ने सलाह दिया कि विश्वविद्यालय अर्किटेक्टों के पैनल, संविदाओं के लिए मापदंड, विशेषज्ञ समितियों के गठन आदि तैयारियों के लिए आरंभिक कार्य संपन्न करने के लिए कदम उठा सकता है, ताकि सिक्किम सरकार द्वारा भूमि आवंटन पर बिना विलंब कार्य आरंभ किया जा सके ।

01.2 विधिवत् विचार विमर्श के बाद समिति ने वर्ष 2008-9 एवं 2009-10 हेतु अनुलग्नक-1 के अनुसार बजट अनुमोदित किया ।

एफ सी: 01:02	निजी अभिकरणों एवं एन जी ओज से निधि संग्रहण

02.1 समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा निजी अभिकरणों एवं एन जी ओज से निधि संघटन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण किया । समिति ने विश्वविद्यालय को पहले ही पारदर्शी मार्गदर्शिका तैयार करने की सलाह दिया । समिति ने यह भी परामर्श दिया कि भारत सरकार एवं आर बी आई द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों का विश्वविद्यालय द्वारा इन प्रस्तावों की स्वीकार्यता पर विचार करने के पूर्व बुद्धिमतापूर्ण अनुसरण किया जाए ।

02.2 उपरोक्त परामर्शों के साथ समिति ने इस मद का अनुमोदन किया ।

एफ सी: 01:03	विश्वविद्यालय की अंशदायी भविष्य निधि लेखाएं

03.1 समिति ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार विमर्श किया। एच आर डी मंत्रालय से विशेष आमंत्रित सदस्य द्वारा एक प्रश्न उठाया गया कि क्या अंशदायी भविष्य योजना तब भी लागू होगी जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा नई पेंशन योजना कार्यान्वित करना है । इस प्रश्न का उत्तर देते हुए रजिस्ट्रार ने उल्लेख किया कि यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरित कार्याभ्यासों को सुनिश्चित करता है कि क्या दोनों योजनाएं प्रचालन में हैं अथवा नहीं । उन्होंने इंगित किया कि उन सांविधिक अधिकारियों को कोई पेंशन योजना उपलब्ध नहीं होगी, जिनकी नियुक्ति एक नियत कार्यकाल के लिए एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के तहत की गई है, अंशदायी भविष्य निधि योजना उनके लिए लाभदायी होगी ।

03.2 समिति ने सलाह दी कि इस विषय पर निर्णय हेतु मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाए ।

एफ सी: 01:04	विश्वविद्यालय की वित्तीय नियमावली का कोडीकरण।

04.1 विश्वविद्यालय में अपने वित्तीय लेन देन को दैनिक आधार पर प्रशासन एवं प्रबअंधन हेतु वित्तीय विनियमावली का कोडीकरण प्रक्रियाधीन है । इन विनियमावली को अंतिम रूप दिए जाने तक अथवा वित्तीय संदर्भ वाले मामले पर किसी विनियम की अनुपस्थिति में, यह विश्वविद्यालय भारत के सामान्य वित्तीय नियमावली तथा प्रशासन में अन्य संबंधित वित्तीय नियमावली का अनुसरण प्रस्तावित करता है।

04.2 समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा संकल्प किया कि यह विश्वविद्यालय वित्तीय प्रबंधन मामलों में भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमावली आदि का अनुसरण करेगा ।

समूह II संपुष्टि अपेक्षित मदें

एफ सी: 01:05	लेखा शीर्षों का कोडीकरण

05.1 समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा लेखाओं के कोडीकरण हेतु अनुसरण किए जा रहे प्रणाली के बारी में जानकारी मांगा । समिति को बतलाया गया कि इस विश्वविद्यालय ने भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची साथ ही अन्य कंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरित कोडीकरण पैटर्न को अंगीकृत किया है।

05.2 समिति ने लेखा शीर्षों के कोडीकरण की अनुलग्नक II के अनुसार संपुष्टि किया ।

एफ सी: 01:06	लेखांकन नीतियां

06.1 समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित लेखांकन नीतियों की अनुलग्नक III के अनुसार संपुष्टि किया।

एफ सी: 01:07	वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक लेखाएं

7.1 समिति को वर्ष 2007-08 हेतु सिक्किम विश्वविद्यालयों की लेखाओं में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर महालेखाकार, सिक्किम के प्रति प्रस्तुत उत्तरों की एक प्रति प्रदान की गई। समिति ने इसकी अंर्तवसतु को नोट किया तथा वर्ष 2007-08 वार्षिक लेखाओं की संपुष्टि किया ।

7.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष आमंत्रित सदस्य ने विश्वविद्यालय से लेखाओं एवं लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र की 50 प्रतियों (हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाने के लिए प्रदान करने का अनुरोध किया । विश्वविद्यालय ने इस अनुरोध को पूरा करने का आश्वासन दिया ।

7.3 समिति ने इसके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद का उपरोक्त सुझावों के साथ अनुमोदन किया ।

एफ सी: 01:08	सांविधिक निकायों, चयन समिति आदि के बाहय सदस्यों के प्रति बैठक भत्ता का नियतिकरण

8.1 कार्यकारी परिषद ने अगस्त 2008 के अपने प्रथम बैठक में सांविधिक निकायों, चयन समिति आदि के बाहय सदस्यों की बैठक शुल्क के रूप में रू0 2000 प्रतिदिन का भुगतान अनुमोदित किया है ।

8.2 समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि किया ।

एफ सी: 01:09	शैक्षाणिक एवं गैर-शैक्षाणिक कार्मिकों की संविदा आधार पर नियुक्ति

9.1 कार्यकारी परिषद ने मद संख्या ई सी : 01:13 के अंतर्गत वी सी को विश्वविद्यालयों से अल्पकालिक आधार पर संकाय सदस्य एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत किया है । तद्नुसार, विश्वविद्यालय द्वारा इसमें चलाए जा रहे वर्त्तमान शैक्षाणिक पाठ्यक्रमों के लिए संविदा आधार पर संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है । चूंकि इन पदों पर शैक्षाणिक एवं गैरशैक्षाणिक दोनों के लिए औपचारिक स्वीकृति युजीसी से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अत: विश्वविद्यालय ने शैक्षाणिक सत्र 2008-09 एवं 2009-10 के लिए शैक्षाणिक एवं गैर-शैक्षाणिक पदों को संविदा आधार पर भरना चाहा है । समस्त मामलों में सविंदा अनुबंध6 महीने की अवधि के लिए किया गया है, तथा नियुक्त संविदा कार्मिकों को एक समेकित वेतन का भुगतान किया जाता है ।

9.2 समिति ने कार्यसूची मद पर विस्तार से चर्चा किया । इसमें विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों पर अवस्थानिक असुविधा की दृष्टि से अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को पाने में अनुभूत दिक्क्तों पर भी विचार किया गया । आगे, समिति को शैक्षाणिक एवं गैर शैक्षाणिक दोनों में यू जी सी द्वारा नियमित पदों की स्वीकृति प्राप्त करने में हो रहे विलंब के बार में भी बतलाया गया ।

9.3 तथापि समिति ने सावधान किया कि ऐसे पदों को नियमित आधार पर भरा जाना ही सदैव श्रेष्ठ होता है, यु जी सी से स्वीकृति प्राप्त होने तथा कार्मिकों के दीर्घावधि हेतु नियुक्ति भविष्य में विधिक एवं अन्य अर्थापत्ति पैदा कर सकता है । समिति के सुझाव को विश्वविद्यालय द्वारा नोट किया गया ।

9.4 इन सभी को नोट किए जाने के पश्चात, समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई के प्रति सहमति व्यक्त किया ।

एफ सी: 01:10	नियमित एवं संविदा कार्मिकों को नियत चिकित्सा भत्ता का भुगतान

10.1 कार्यकारी परिषद अपनी प्रथम बैठक में मद सं0 ई सी:01:18 के तहत निर्णय किया है कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों (शैक्षाणिक एवं गैर-शैक्षाणिक दोनों) को दिनांक 01.09.2008 से लागू बाह्य बिमारी के तौर पर स्वयं के उपचार हेतु प्रतिपूर्ति के एवज में अस्थायी आधार पर रू0 500 प्रति माह का नियत चिकित्सा भत्ता भुगतान किया जाएगा । यह उल्लेख किया गया था कि बाह्य बिमार के रूप में उचार का सेवाक्षेत्र उन स्थानों तक सीमित होगा जहां विश्वविद्यालय वर्तमान में अवस्थित है ।

10.2 M I S S I N G

एफ सी: 01:11	गंगटोक स्थित भूमि का अधिग्रहण

11.1 परीक्षण के उपरांत समिति ने विचार व्यक्त किया कि यद्यपि गंगटोक स्थित भूमि का अधिग्रहण कार्यकारी परिष्ज्ञद तथा यु जी सी की विशेष सिमति दोनों द्वारा अनुमोदति किया गया है, फिर भी यह सुझाव

दिया गया कि विश्वविद्यालय सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण विश्वविद्यालय पर कोई वित्तीय अभिभार दिए बिना करवाने के लिए प्रयास कर सकता है । विशेष आमंत्रित सदस्य ने सूचित किया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार भूमि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय को मूल्य रहित उपलबध करवाएंगी ।

11.2 समिति ने विश्वविद्यालय को इस दिशा में अगली बैठक में आगे की प्रगति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एफ सी: 01:12	युनिवर्सिटी कैफेटेरिया को आर्थिक सहायता

12.1 वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा एक छोटे कैफेटेरिया का संचालन कार्मिक सदस्यों द्वारा किए गए अवदान पर किया जा रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा फर्नीचर, वर्त्तन, जल आदि सदृश्य मौलिक सुविधाएं उपलबध करवाया जाता है । किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए, सिक्किम विश्वविद्यालय कैंटीन प्रबंधन समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसमें कार्मिकों में से भी सदस्य संलग्न हैं। विश्वविद्यालय समिति के प्रति रू0 5000/- (पांच हजार मात्र) की एक मासिक आर्थिक सहायता कार्मिक सदस्यों को भोज्य एवं पेय सामग्री अल्पतम दरों पर उपलबध करने के लिए प्रदान करेगा ।

12.2 समिति ने विश्वविद्यालय कैफेटेरिया को आर्थिक सहायता प्रदान करने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई की संपुष्टि किया ।

एफ सी: 01:13	नियत परिसंपत्तियों का कोडीकरण।

13.1 वित्त समिति ने नियत परिसंपत्तियों के कोडीकरण हेतु विश्वविद्यालय के निर्णय (अनुलग्नक IV) की संपुष्टि किया तथा परामर्श दिया कि इसे तत्काल पूरा किया जाए ।

समूह III सूचनार्थ प्रेषित मदें

एफ सी: 01:14	एक्सिस बैंक के साथ इंटरनेट बैंकिग सुविधार

14.1 यह विश्वविद्यालय सभी वित्तीय लेन देन का संचालन इनके द्वारा एक्सिस बैंक, गंगटोक शाक्षा के साथ अनुरक्षित एस बी लेखा के माध्यम से करता है । इनमें अंतशेष, निर्गत चेकों आदि की कड़ाई से निगरानी के लिए वित्त अधिकारी को एक्सिस बैंक के साथ इंटरनेट बैंकिंग में व्यू वनली सुविधा उपलब्ध की गई है । इस सुविधा के लिए एक्सिस बैंक ने विश्वविद्यालय को एक यूजर नाम एवं पासवर्ड उपलबध करवाया है । इस सुविधा से चेकों के निर्गम/नकदीकरण/शेष की अद्यतन स्थिति देख पाने के अतिरिक्त कोई भी इंटरनेट बैंकिंग लेन देन का निष्पादन नहीं किया जा सकता है ।

14.2 समिति द्वारा इस सूचना को नोट किया गया ।

एफ सी: 01:15	महाविद्यालयों के प्रति ढांचागत सुविधा प्रदान करना ।

15.1 सिक्किम विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में दूर दराज अवस्थित हैं । इन महाविद्यालयों में से अधिकांश की स्थापना हाल में गुणता शिक्षा प्रदान करने के लिए सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुई है । चूंकि सिक्किम विश्वविद्यालय की योजना सभी मानकों से एक उत्कृष्ठ संस्थान के रूप में उभरना है, अत: यह आवश्यक है कि अंगीभूत महाविद्यालयों की भी देखभाल इसी प्रकार हो । इस प्रकार यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय इन महाविद्यालयों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आधार उन्नत बनाने में सहायता प्रदान करें, ताकि यह सिक्किम विश्वविद्यालय की वृद्धि की अवस्था से सामंजस्य बना सके । इस दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित चरण उठाए गए हैं:

(क) विश्वविद्यालय द्वारा बी एस एन एल के सहयोजन में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ डेटा/ध्वनि/छवि/फैक्स के अंतरण हेतु लिज्ड लाइन संयोजकता स्थापित किया गया है । वास्तव में लिज्ड लाइन सुविधा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के बीच हॉटलाइन के रूप में भी कार्य करती है । आगे लिज्ड लाइन का उपयोग करके विश्वविद्यालय अंगीभूति महाविद्यालयों के साथ विडियो/ऑडियों कंफ्रेंसिंग करने की योजना भी बना रहा है तथा सभी महत्वपूर्ण व्याख्यानों को एक अप्रत्यक्ष कक्षा वर्ग निर्मित कर अंगीभूत महाविद्यालयों को प्रेषित करेगा । लिज्ड लाइनों का उपयोग करके वैन के साथ विश्वविद्यालय एक इन्ट्रानेट प्राप्त करने की योजनारत है । इन्ट्रानेट का उपयोग करके महाविद्यालय उन सभी शैक्षाणिक एवं प्रशासनिक डेटा के प्रति पहूंच बना सकते हैं जिनकी उन्हें तत्काल आवश्यकता हो । साथ ही, वे अपना समस्त डेटा यथा-छात्र उपस्थिति, मध्य सेमेस्टर अंक, टर्म पेपर अंक एवं अन्य शैक्षाणिक सूचनाएं सीधे विश्वविद्यालय सर्वर को अपलोड कर सकते हैं ।

(ख) कार्यकारी परिषद मद संख्या ई.सी:01:16 के तहत शैक्षाणिक गतिविधियों की उन्नति के लिए यह निश्चय किया है एवं रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की राशि अंगीभूत महाविद्यालयों में संगोष्ठियां/सम्मेलनों /सिम्पोजियमों के संचालन हेतु चिहि्नत करने का अनुमोदन दिया है । यू जी सी ने अ.स. पत्र संख्या एफ 24/9/2008/ सी यू दिनांक 04.12.2008 के तहत इस

उद्देश्य से रू0 15 लाख प्लान अवधि के दौरान अनुमोदित किया है । हमारे सदृश नए विश्विविद्यालय के लिए साथ ही सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में यथा प्रति प्रतिष्ठापित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी, हमें सिक्किम राज्य के विकास हेतु श्रमशक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के प्रति सम्मेलनों/कार्यशालाओं के आयोजन पर पर्याप्त राशि व्यय करने तथा सिक्किम नागरिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में अभिवृद्धि एवं कल्याण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । तदनुसार, वर्ष 2008-09 हेतु रू 20 लाख इस उद्देश्य के लिए चिह्नित किया गया ।

(ग) अधिकांश महाविद्यालयों में पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकों की अत्यधिक कमी होती है । यद्यपि, वैयक्तिक संस्थान की जिम्मेवारी होती है कि छात्रों को इन मौलिक इनपूट को उपलबध कराए, परंतु कई महाविद्यालय छात्रों को संगणन एवं संचार सुविधाएं भी नहीं प्रदान कर पाते हैं । इन कठिनाइयों पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय की राय है कि गुणता आश्वासन के हित में अंगीभूत महाविद्यालयों को आरंभिक चरणों में कुछ सहायता प्रदान करना उचित होगा। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने किन्हीं मौलिक पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकों, कंप्यूटरों, फैक्स आदि को अंगीभूत महाविद्यालयों के पास रखने का निर्णय लिया, ताकि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।

उपरोक्त हेतु व्ययों में यू जी सी द्वारा XI योजना के दौरान उपलबध कराए गए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान में से वित्त प्रदत होगा ।

15.2 समिति ने आपत्ति किया कि महाविद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के दौरान विश्वविद्यालय भी ऐसी सहायता के प्रावधान हेतु विस्तृत मार्गदर्शन तैयार करेगा ।

15.3 समिति ने इस मद को नोट किया । तथापि, यह निर्देश दिया गया कि इसे विस्तृत विचार विमर्श हेतु अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए ।

एफ सी: 01:16	शैक्षाणिक एवं गैर शैक्षाणिक पदों का सृजन।

16.1 कार्यकारी परिषद ने 8 अगस्त 2008 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, मद संख्या ई.सी:1:4 एवं ई सी :01:05 के तहत किन्ही शैक्षाणिक एवं गैर शैक्षाणिक पदों के सृजन का अनुमोदन किया । विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों के शैक्षाणिक एवं गैर शैक्षाणिक पदों के सृजन हेतु प्रस्तावों को यू जी सी के प्रति XI योजना अवधि के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया । यू जी सी की स्वीकृति अपेक्षित है । यू जी सी से स्वीकृति प्राप्त होने पर नइ पदों की औपचारिक सृजन किया जाएगा । इन पदों के सृजन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन वित्त समिति एवं कार्कारी परिषद से उचित समय पर प्राप्त किया जाएगा ।

16.2 समिति ने रिपोर्टित मद को नोट किया । इनके द्वारा सलाह दी गई कि इस मामले को यू जी सी के साथ प्रभावशाली ढंग से उठाया जाए ताकि शीघ्र पदों की स्वीकृति प्राप्त हो सके ।

एफ सी: 01:17	वित्त अधिकारी द्वारा लेखाओं का प्रचालन

17.1 विश्वविद्यालय के प्रथम सांविधि के सांविधि 7(6)(ए) के अनुसार वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की निधियों के उपर सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे तथा इसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देंगे । तदनुसार विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के सभी बैंक लेखाओं का परिचालन करते रहे हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी चेकों पर हस्ताक्षर करते हैं ।

17.2 समिति ने रिपोर्टित मद को नोट किया।

एफ सी: 01:18	कोई अन्य विषय- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

18.1 इस बैठक में विचारार्थ कोई अनय विषय नहीं उठाया गया ।

सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन पश्चात बैठक समाप्त हुई ।

हस्ताक्षरित
पी.वी. रवि
वित्त अधिकारी
पदेन सचिव, वित्त समिति

अनुलग्नक I

बजट प्राक्कलन वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

लेखा शीर्ष	वर्गीकरण कुट	बी ई 2008-09 (रूपयों में)	बी ई 2009-10 (रूपयों में)
वेतन	354001	10,000,000	12,500,000
कुल		**10,000,000**	**12,500,000**
पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ			
क) सी पी एफ लेखा के प्रति विश्वविद्यालय अवदान	354013	32,030	40,000
ख) पेंशन अवदान एवं वेतन अवदान	354011	240,343	300,000
ग) ग्रेच्युटी निधि अवदान	354012	-	
घ) परिवार पेंशन	354011	-	
कुल		**272,373**	**340,000**
स्थापना प्रभारों के तहत सामान्य मद			
क) कर्मचारी कल्याण	354003	8,135	15,000
ख) मान देय	354009	300,000	350,000
ग) बोनस भुगतान	354010	-	-
घ) आंगतुक संकाय	354023	-	100,000
ड) कर्मचारियों के प्रति चिकित्सा प्रतिपूर्ति	354007	-	50,000
च) छुट्टी यात्रा रियायत	354006	137,105	200,000
कुल		**445,240**	**715,000**
कार्यालय रख रखाव प्रभार			
क) प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	355010	853,098	1,000,000
ख) वाहनों/पी ओ एल का संचालन / अनुरक्षण	355004	754,041	1,000,000
ग) कर्मचारियों की या. म/दै. भ.	355011	653,082	1,000,000

घ) टेलीफोन/इंटरनेट प्रभार	355006	471083	1,000,000
ङ) कार्यालय मनोरंजन	355019	1424746	2,000,000
च) डाक /टलीग्राम प्रभार	355005	19891	25,000
छ) कार्यालय फूटकर निधि	355022	-	100,000
ज) पाक्षिक एवं समाचार पत्र	355020	46,814	75,000
झ) मरम्मति, अनुरक्षण, नवीकरण (का0 उपकरण)	355013	173,646	300,000
ञ) विधिक व्यय	355008	-	10,000
ट) वरदी/यूनिफार्म	355009	-	10,000
ठ) सुरक्षा व्यय	355024	-	100,000
ड) एच आर डी एवं कर्म प्रशिक्षण	354016	-	100,000
ढ) परामर्शदायी व्यय	354025	-	200,000
ण) विद्युत उपभोग प्रभार	355002	65,333	100,000
त) कार्यालय सामग्री(उपभोज्य)	355010	-	10,000
थ) फूटकर दिहाड़ी	354017	5,000	10,000
द) भाड़ा प्रभार.	355026	-	10,000
ध) विज्ञापन	355007	4,179,357	5,000,000
न) समारोह एवं उत्सव	355027	25,000	25,000
प) शुल्क एवं प्रभार	355028	15,000	10,000
फ) अन्य विविध व्यय	355019	654,794	1,000,000
ब) परिसर लैन का अनुरक्षण	355015	-	100,000
भ) किराया दर एवं कर	355001	2,597,536	5,000,000
कुल कार्यालय अनुरक्षण		**11,938,421**	**18,185,000**
अन्य मदें			
क) उपकुलपति विवेकाधीन अनुदान	354304	-	100,000
ख)दीक्षांत समारोह	354026	-	-

ग) प्रकाशन व्यय	354027		
		492,770	750,000
घ) स्वास्थ्य केंद्र (चिकित्सा व्यय)	354007		
		-	-
ङ) बीमा प्रिमियम	355023	-	50,000
च) चयन समिति व्यय/बैठक व्यय निकाय एवं समितियां	355029	-	200,000
छ) सदस्यता एवं अवदान	355030	-	100,000
ज) जल प्रभार	355003	18,335	50,000
झ) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	355031		
		-	100,000
ञ) डे केयर केंद्र	355032		
			50,000
कुल अन्य मदें		**511,105**	**1,400,000**
परीक्षा व्यय			
क) प्रश्न पत्र निर्माता एवं मूल्यांकनकर्ता को प्रतिपूर्ति	354025	500,000	1,000,000
ख) केंद्र प्रभारी एवं पर्यवेक्षक को क्षतिपूर्ति	354025	100,000	200,000
ग) केंद्र व्यय	354025	300,000	600,000
घ) प्रिटिंग/बाइडिंग/स्टेशनरी (परीक्षा)	354028	800,000	1,500,000
ङ) अन्य प्रभार परीक्षा	354035	100,000	200,000
कुल परीक्षा व्यय		**1,800,000**	**3,500,000**
शैक्षाणिक व्यय			
क) सम्मेलन एवं सेमिनार	354022		
		1,660,499	2,500,000
ख) अवार्ड, प्राइज, छात्रवृत्ति	354030		
		-	100,000
ग) कर्म एवं छात्र सुविधाएं	354003		
		-	100,000
घ) छात्र पर्यटन, अध्ययन, भ्रमण, क्षेत्र अध्ययन आदि	354003	-	100,000
ङ) प्रयोग रसायन एवं उपभोज्य	354031	300,000	500,000
च) शैक्षाणिक विभागों हेतु उपभोज्य	354037	-	100,000
छ) नामांकन व्यय	354038	-	100,000

ज) अन्य शैक्षाणिक व्यय	354033	-	500,000
झ)संकाय एवं छात्र-व्यय कार्यक्रम	354039	500,000	1,000,000
ञ) अनुसंधान पहल अनुदान	354024	-	100,000
ट) आंगतुक प्रोफेसर की नियुक्ति	354023	250,000	250,000
ठ) संकाय अभिवृद्धि	354040	250,000	250,000
ड) समान अवसर कक्ष	354041		
		100,000	100,000
ढ) एस सी/एस टी/ओ बी सी हेतु कोचिंग योजना	354042	300,000	1,000,000
ण) कैरिअर परामर्श कक्ष	354043	300,000	500,000
त) विभिन्न क्षमता/विशेष शिक्षा/विशेष आवश्यकता/दृष्टि अपंग	354044	300,000	300,000
थ) आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष	354045	100,000	100,000
कुल शैक्षाणिक व्यय		**4,060,499**	**7,600,000**
छात्र पाठ्यक्रम सह गतिविधियां			
क) खेलकूद	354046	300,000	1,000,000
ख) सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां	354047	100,000	200,000
ग) छात्र कल्याण	354048	200,000	400,000
d) Adventure Sports/Infrastructure	354049	500,000	1,000,000
कुल छात्र पाठ्यक्रम सह गतिविधियां		**1,100,000**	**2,600,000**
संपदा अनुरक्षण एवं लघु कार्य			
क) आवासीय भवनें	355015		200,000
ख) गैर आवासीय भवनें (होस्टल सहित)किराया	355015	25,135	100,000
ग) जलापूर्ति	355003	-	-
घ) आंतरिक मुख्य सड़क	355013	-	-
ड़) बाह्य विद्युत सेवा	355013	-	-
च) विद्युतीय स्थापना आंतरिक	355013	-	-
छ) डी जी सेट का संचालन एवं अनु.	355013	-	-

ज) परिसर सौन्दर्यीकरण	355016	6,460	25,000
झ) संकाय मनोरंजन	354033	-	25,000
ञ) महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष योजना	354050	50,000	100,000
कुल संपदा अनुरक्षण एवं लघु कार्य		**81,595**	**450,000**
पूंजी व्यय			
क) फर्नीचर	201006	3,628,503	4,000,000
ख) उपकरण	201006	272,127	1,000,000
ग) पुस्तक एवं जर्नल	201010	10,023,408	20,000,000
घ)भूमि	201001	150,000,000	-
ङ) प्रशासनिक खंड	201002	10,000,000	50,000,000
च) विभाग सहित स्कूल	201002	10,000,000	100,000,000
छ) सम्मेलन/सेमिनार कक्ष	201002	-	30,000,000
ज) छात्रावास का निर्माण	201002	-	50,000,000
झ) भोजन कक्ष	201002	-	10,000,000
ञ) वार्डेन क्वाटर्स	201002	-	10,000,000
ट) आवासी क्वाटर्स	201002	-	50,000,000
ठ) गंगटोक परिसर में भवन	201002	-	5,000,000
ड) गंगटोक स्थित भूमि	201001	-	-
ढ) उपकरण	201006	10,000,000	20,000,000
ण) यांग्यांग में विकास	201012	10,000,000	10,000,000
त) गंगटोक में विकास	201012	2,500,000	2,500,000
थ) केंद्रीय पुस्तकालय	201002	-	20,000,000
द) कंप्यूटर केंद्र	201002	-	-
ध) विश्वविद्यालय अस्पताल	201002	-	20,000,000

न) खेलकूद सुविधाएं	201011	-	10,000,000
प) छात्र सुविधांए	201013	-	2,500,000
फ) विश्वविद्यालय अतिथि गृह	201002	-	20,000,000
ब) ऑडिटोरियम	201002	-	20,000,000
भ) सुविधा भवनें	201002	-	10,000,000
म) फूड कोर्ट	201002	-	5,000,000
य) केंद्रीय विद्यालय	201002	-	5,000,000
र) कंप्यूटर	201008	6,896,056	2,500,000
ल) विडियो कंफ्रेंसिंग	201008	-	50,000
व) एल सी डी	201007	100,000	200,000
श) शिक्षण टूल्स/सहा0	201007	-	100,000
ष) कंप्यूटर प्रयोग./संगणन	201008	-	500,000
स) यू पी एस एवं इन्वर्टर	201008	100,000	200,000
ह) सॉफ्टवेयर	201014	600,000	500,000
क्ष) स्कैनर/प्रिंटर/फैक्स मशीन/फोटो कॉपीयर	201008		200,000
त्र) वाद्य संगीत अनुरक्षण सुविधाएं	201011	100,000	200,000
कुल - पूंजी व्यय		**214,220,094**	**479,450,000**
सकल योग		**244,429,327**	**526,740,000**

अनुलग्नक ॥

लेखा शीर्षों का कोडीकरण

लेखा शीर्ष	कूट
देयताएं	
पूंजी निधि	102001
पूंजी व्यय हेतु उपभोग की सीमा तक अनुदान	102001
दान में मिली परिसंपत्तियां	102001
चिह्नित निधि से निर्मित परिसंपत्तियां	102001
प्रायोजित परियोजनाओं से निर्मित परिसंपत्तियां	102001
होस्टल एवं किचन से बनी परिसंपत्तियां	102001
अन्य	102001
चिह्नित/स्थायी निधि	103001
चिह्नित/स्थायी निधि(विशिष्ट)	103002
निधि से किए गए निवेश से आय	103003
निधि से किए गए निवेश से अर्जित ब्याज	103004
अन्य योग	103005
चालू देयताएं	
कर्मचारी से जमा	104001
छात्रों से जमा	104002
अन्य(इ एम डी/एस डी) से जमा	104003
जी पी एफ अवदान	104004
टी डी एस भुगतान योग्य	104005
आयकर भुगतान योग्य	104006
सी पी एफ भुगतान योग्य	104007
जी आई एस भुगतान योग्य	104008
वेतन भुगतान योग्य	104009
प्रायोजित परियोजनाओं के विरूद्ध प्राप्तियां	104010
उपयोग में न लाए गए अनुदान	104011
फेलोशीप एवं छात्रवृत्ति के विरूद्ध प्राप्तियां	104012
अन्य निधियां	104013
अन्य देयताएं	104014
जी पी एफ भुगतान योग्य	104015
पुस्तकालय/प्रयोगशाला अमानती धन	104016
सी जी एच एस भुगतान योग्य	104018
एच बी ए भुगतान योग्य	104019
वी ए टी भुगतान योग्य	104020
अधिभार भुगतान योग्य	104021
व्यवसायिक कर भुगतान योग्य	104022
पी सी ए भुगतान योग्य	104023
लाइसेंस शुल्क भुगतान योग्य	104024

एल आई सी भुगतान योग्य	104025
डाकघर एस बी भुगतान योग्य	104026
प्रावधान	
बहुवार्षिकता पेंशन हेतु प्रावधान	105001
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	105002
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	105003
अन्य हेतु प्रावधान	105004
अवमूल्यन हेतु प्रावधान	105005
प्रायोजित परियोजनाओं पर अन्य देयताएं	
यू जी सी वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106001
एम एच आर डी वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106002
डी एस टी वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106003
आई सी एस एस आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106004
आई सी एच आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106005
आई सी सी आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106006
सी एस आई आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106007
विविध श्रोतें	106008
प्रायोजित फलोशिप एवं छात्रवृत्ति पर अन्य देयताएं	106009
यू जी सी वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106010
एम एच आर डी वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106011
डी एस टी वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106012
आई सी एस एस आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106013
आई सी एच आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106014
आई सी सी आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106015
सी एस आई आर वित्त प्रदत्त परियोजनाएं	106016
विविध श्रोतें	106017
उपयोग में न लाए गए अनुदान	
योजना अनुदान	107001
यु जी सी अनुदान (नॉल प्लान)	107002
यु जी सी अनुदान (प्लान)	107003
यु जी सी अनुदान (अन्य)	107004
अन्य अनुदान	107005
अन्य निधियां	
व सी राहत निधि	108001
कर्मचारी राहत निधि	108002
शिक्षक संगठन निधि	108003
छात्र संगठन निधि	108004
यूनिवर्सिटी क्लब निधि	108005
यूनिवर्सिटी पत्रिका निधि	108006
कॉलेज विकास निधि	108007
यूनिवर्सिटी खेलकूद निधि	108008
सांस्कृतिक गतिविधियां निधि	108009
छात्रावास निधि	108010

कार्याशाला सेमिनार निधि	108011
छात्र सहायता निधि	108012
पत्रिका निधि	108013
सामाजिक एवं सांस्कृतिक निधि	108014
पेंशन निधि	108015
सुविधाएं निधि	108016
नवीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि	108017
अचल परिसंपत्तियां	
भूमि	201001
भवन	201002
विद्युत साज सज्जा	201003
संयंत्र एवं मशीनरी	201004
प्रयोग एवं कार्यशाला	201005
फर्नीचर एवं उपकरण	201006
ऑडियो विजुअल उपकरण	201007
कंप्यूटर	201008
वाहन	201009
पुस्तक	201010
कैंप उपकरण	201011
पूंजी कार्य प्रगति पर	201012
छात्र सुविधाएं	201013
सॉफ्टवेयर	201014
निवेश	
डिबेंचर एवं बांड	213001
बैंक नियत जमा	213002
स्थायी निधियां	213003
यूनिवर्सिटी विकास निधि	213004
प्रकाशन निधि	213005
अन्य स्थायी निधियां	213006
निवेश (अन्य)	213007
चालू परिसंपत्तियां	
हस्तगत नकद	228001
बैंक में नकद - एस बी लेखाओं में	228002
बैंक में नकद - अल्पावधि जमा में	228003
ऋण एवं अग्रिम	228004
कर्मचारियों का अग्रिम वेतन	228005
उत्सव अग्रिम	228006
यात्रा भत्ता अग्रिम	228007
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	228008
चिकित्सा अग्रिम	228009
भवन निर्माण अग्रिम	228010
पंखा अग्रिम	228011
साइकल अग्रिम	228012
मोटर कार/मोटर साइकिल अग्रिम	228013
आपूर्तिकारों को अग्रिम	228014

पूंजी लेखा पर अग्रिम	228015
प्रीपेड बीमा	228016
प्रीपेड व्यय	228017
टेलिफोन जमा	228018
लीज किराया जमा	228019
विद्युत जमा	228020
अर्जित परंतु ब्याज देय नहीं	228021
अन्य प्राप्तियोग्य	228022
प्राप्तिप्रयोज्य दावे	228023
अन्य अग्रिम	228024
विविध व्यय	228025

व्यय	
स्थापना व्यय	
नियमित कर्मचारियों के प्रति वेतन एवं भत्ते	354001
तदर्थ कार्मिकों को वेतन	354002
ओ टी ए	354003
महंगाई भत्ता	354004
आगंतुक प्रोफेसरों को शुल्क	354005
एल टी सी सुविधाएं	354006
चिकित्सा सुविधाएं	354007
शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	354008
मानदेय	354009
बोनस	354010
पेंशन	354011
ग्रेच्यूटी	354012
पी एफ अवदान	354013
छुट्टी नकदीकरण	354014
छुट्टी वेतन/पेंशन अवदान	354015
अन्य स्थापना व्यय	354016
पारिश्रमिक	354017

शैक्षाणिक व्यय	
प्रयोगशाला व्यय	354019
पर्यटन/फील्ड वर्क	354020
शिक्षण सहायता	354021
सेमिनार/कार्यशाला व्यय	354022
आगंतुक संकाय को भुगतान	354023
अनसंधान गतिविधियां	354024
परीक्षा व्यय	354025
दीक्षांत व्यय	354026
प्रकाशन व्यय	354027
प्रिंटिंग एवं प्रसंस्करण(परीक्षा)	354028
प्रिंटिंग एवं प्रसंस्करण(अन्य)	354029
वृत्ति/छात्रवृत्ति	354030
प्रयोग रसायन एवं उपभोज्य	354031
अवार्ड प्राइज एवं छात्रवृत्ति	354032
विविध व्यय	354033

वी सी का विवेकाधीन अनुदान	354034
परीक्षा प्रभार	354035
छात्र सुविधाएं	354036
शैक्षाणिक उपभोज्य	354037
नामांकन प्रभार	354038
संकाय एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम	354039
संकाय अभिवृद्धि कार्यक्रम	354040
समान अवसर कक्ष	354041
एस सी/एस टी/ओ बी सी/ हेतु परामर्श	354042
कैरिअर परामर्शदायी	354043
भिन्न क्षमता हेतु योजनाएं	354044
आंतरिक गुणता आश्वासन	354045
छात्र पाठ्यक्रम सह खेलकूद	354046
सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्सव	354047
छात्र कल्याण	354048
साहसिक खेलकूद	354049
महिलाओं के छात्रावास व्यय	354050
प्रशासनिक व्यय	
किराया दरें एवं कर	355001
विद्युत प्रभार	355002
जल प्रभार	355003
वाहन प्रचालन प्रभार	355004
डाक व्यय एवं तार	355005
दूरभाष एवं इंटरनेट	355006
विज्ञापन एवं प्रचार	355007
विधिक व्यय	355008
वरदी	355009
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	355010
यात्रा एवं वाहन	355011
अतिथेय	355012
मरम्मति एवं अनुरक्षण	355013
सफाई सामग्री एवं सेवा	355014
भवन रखरखाव	355015
बागवानी	355016
कंप्यूटरों का अनुरक्षण	355017
फनीर्चर एवं उपकरणों का अनुरक्षण	355018
विविध व्यय	355019
पत्रिकाएं एवं जर्नल	355020
बैंक प्रभार	355021
फूटकर खर्च	355022
बीमा	355023
अवमूल्यन	356001
आय	
सहायता/आर्थिक सहायता अनुदान	457001
यू जी सी अनुदान	457002

एम एच आर डी अनुदान	457003
अन्य अनुदान (विशिष्ट)	457004
शैक्षाणिक प्राप्तियां	457005
शिक्षण शुल्क	457006
नामांकन शुल्क	457007
नामांकन शुल्क	457008
पुस्तकाय नामांकन शुल्क	457009
प्रयोगशाला शुल्क	457010
वार्षिक शुल्क	457011
पंजीकरण शुल्क	457012
परीक्षा शुल्क	457013
अंक पत्रक/प्रमाणपत्र शुल्क	457014
आई डी कार्ड शुल्क	457015
दंड/विविध शुल्क	457016
चिकित्सा शुल्क	457017
बागवानी शुल्क	457018
प्रकाशनों का बिक्रय	457019
संदर्शिका एवं नामांकन प्रपत्र का बिक्रय	457020
प्रकाशनों से आय	457021
प्राप्त अिभदान	457022
निवेश से आय	457023
बांड्स/डिबेंचरों पर	457024
शेयरों पर	457025
युनिवर्सिटी विकास निधि निवेशों पर	457026
स्थायी निधि निवेशों पर	457027
अर्जित ब्याज	457028
नियत जमा पर	457029
अनुरक्षण अनुदानों पर	457030
विशेष सहायता पर	457031
सावधिक जमा पर	457032
अन्य बेंक ब्याज (एस बी)	457033
अन्य आय	457034
हॉस्टल कमरा किराय	457035
लाइसेंस शुल्क	457036
अतिथि गृह किराया	457037
किराया प्रभार	457038
विद्युत एवं जल प्रभार	457039
चिकित्सा अवदान	457040
परियोजनाओं से ऊपरी प्रभार	457041
भर्त्ती हेतु आवेदन पत्र की बिक्री	457042
टेंडर फार्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री	457043
आवधि पूर्ण आय	457044
योजना अनुदान पर ब्याज	457045
छात्र सहायता निधि	457046
खेलकूद शुल्क	457047

अनुलग्नक - III

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखाओं के निर्माण हेतु आधार

लेखाओं का निर्माण जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत एवं साधारणत: लेखांकन के प्रोद्भवन विधि पर किया जाता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो ।

2. राजस्व पहचान

छात्रों से शुल्क, प्रपत्रों के बिक्रय, बचत बैंक जमा पर ब्याज का लेखांकन नकदी आधार पर किया जाता है
संपत्ति/परिसंपत्तियों से आय एवं निवेशों पर ब्याज का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है ।
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है ।

3. अचल परिसंपत्तियां एवं अवमूल्यन

अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण की लागत के साथ ही अधिग्रहण से संबंधित आवक किराया, शुल्कें एवं कर तथा अन्य आकस्मिक व्यय, अधिस्थापन एवं कमिशनिंग की जाती है।
अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत से संग्रहित अवमूल्यन को घटाकर किया जाता है । अचल परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन निम्निलिखित दरों पर सरल रेखा विधि से उपलबध होता है:

भवनें	*2%*
विद्युत प्रतिस्थापन एवं उपकरण	*5%*
संयंत्र एवं मशीनरी	*5%*
वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	*8%*
कार्यालय उपकरण	*7.5%*
ऑडियो विजुअल उपकरण	*7.5%*
कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	*20%*
फर्नीचर एवं साज सज्जा	*7.5%*
वाहनें	*10%*
पुस्तकें एवं जर्नल	*10%*
अन्य	*10%*

पूर्ण अवमूल्यन वर्ष के दौरान जोड़े गए अतिरिक्त पर उपलब्ध होता है।
पूर्णरूपेण अवमूल्यित परिसंपत्ति की अवस्था में इसे लेखाओं में रू01 के अवशिष्ट मूल्य पर अग्रेनित की जाती है।
चिह्नित निधियों/प्रयोजित परियोजनाओं में से बनाई गई परिसंपत्तियों, जहां ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व सिक्किम विश्वविद्यालय में निहित होता है, अवमूल्यन परिसंपत्तियों के संबंधित समूह पर लागू दरों पर प्रभारित होता है।
सिक्किम विश्वविद्यालय को दान में मिली परिसंपत्तियों की स्थापना पूंजी निधि में क्रेडिट द्वारा की जाती है तथा अचल संपत्तियों के साथ सम्मिलत की जाती है, एवं अवमूल्यन लागू दरों पर प्रभारित होता है।
दान में मिली पुस्तकों का मूल्यांकन इस पर छपी बिक्रय मूल्य पर होता है । जहां बिक्रय मूल्य उल्लेखित नहीं है, मूल्यांकन मूल्य-निर्धारण द्वारा किया जाता है तथा लेखा में लिया जाता है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा में प्रावधान प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर होता है।

5. निवेश

सभी निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

6. सरकारी एवं यू जी सी अनुदानें

सरकारी एवं यू जी सी अनुदानों का लेखांकन वसूली के आधार पर होता है।
पूंजी व्यय के प्रति उपयोग की सीमा तक, सरकारी अनुदानें एवं यू जी सी से अनुदानों को पूंजी निधि में अंतरित किया जाता है । राजस्व व्यय हेतु सरकारी एवं यू जी सी अनुदानों का उपयोग की सीमा तक, उस वर्ष के आय के रूप में व्यवहार किया जाता है, जिसमें इसकी वसूली की जाती है ।
अनुपयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से भुगतान किए गए अग्रिम सहित) को अग्रेनित किया जाता है तथा तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित होता है।

7. चिह्नित/स्थायी निधियों का निवेश एवं ऐसे निवेशों से अर्जित ब्यज आय

तत्काल व्यय हेतु वांछित नहीं होने की सीमा तक, निधियों के विरूद्ध उपलब्ध राषि को अनुमोदित प्रतिभूति एवं बांड में निवेशित किया जाता है अथवा बैंक के साथ नियत अवधि हेतु जमा किया जाता है तथा शेष बचत बैंक लेखा में छोड़ दिया जाता है ।
प्राप्त ब्याज, अर्जित एवं देय बयाज तथा ऐसे निवेशों पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्यज संबंधित निधि में वर्धित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय की आय नहीं माना जाता है ।

8. प्रायोजित परियोजनाएं

प्रायोजित परियोजनाएं के मामले में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को चालू देयताओं में नामे किया जाता है, जब कमी व्यय किया जाता है । अग्रिम भुगतान किया जाता है, संबंधित परियोजना लेखा में आवंटित ऊपरी प्रभारों सहित डेबिट किया जाता है । परियोजनाओं से वसूली गई ऊपरी प्रभार सिक्किम विश्वविद्यालय की आय माना जाता है। विश्वविद्यालय प्रायोजित परियोजनाओं का डेबिट शेष प्रायोजकों से वसूली योग्य होने के कारण चालू परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है ।

9. फेलोशीप एवं छात्रवृत्ति

फेलोशीप एवं छात्रवृत्तियों का लेखांकन प्रायोजित परियोजनाओं की तरह ही किया जाता है अपवाद के रूप में व्यय साधारणत: फेलोशीप एवं छात्रवृत्ति के संवितरण में होता है, जिसमें फेलो एवं शोधकर्त्ताओं द्वारा फूटकर खर्च हेतु भत्ता संलग्न हो सकता है । सिक्किम विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा जब फेलोशीप एवं छात्रवृत्ति अवार्ड किया जाता है, इसे व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है ।

10. आयकर

विश्वविद्यालय की आय आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के अंतर्गत आयकर मूक्त होता है । अत: कर हेतु लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

अनुलग्नक IV

अचल परिसंपत्तियों को कोडीकरण

क्रम स.	परिसंपत्तियों का नामाकरण	मूल कूट (अल्फा)	द्वितीयक कूट (अल्फा)	तृतीयक कूट(आंकिक) – अंतिम परिसंपत्ति वर्गीकरण
1	**विद्युत साज-सज्जा**	एस यू/ई एफ		
	पंखा	एस यू/ई एफ	एस यू/ई एफ/एफ एन	एस यू/ई एफ/एफ एन/00
	फ्रिज	एस यू/ई एफ	एस यू/ई एफ/एफ आर	एस यू/ई एफ/एफ आर/00
	वैक्यूम क्लीनर	एस यू/ई एफ	एस यू/ई एफ/वी सी	एस यू/ई एफ/वी सी/00
	यू पी एस	एस यू/ई एफ	एस यू/ई एफ/यू पी	एस यू/ई एफ/यू पी/00
	फैक्स मशीन	एस यू/ई एफ	एस यू/ई एफ/एफ एम	एस यू/ई एफ/एफ एम/00
2	**संयंत्र एवं मशीनरी**	एस यू/पी एम		
	माइक्रोवेब ओवन	एस यू/पी एम	एस यू/पी एम/एम ओ	एस यू/पी एम/एम ओ/00
	गैस स्टोव	एस यू/पी एम	एस यू/पी एम/जी एस	एस यू/पी एम/जी एस/00
	फोटो कॉपियर	एस यू/पी एम	एस यू/पी एम/पी सी	एस यू/पी एम/पी सी/00
3	**प्रयोग एवं कार्यशाला**	एस यू/एल डब्ल्यू	एस यू/एल डब्ल्यू/ डब्ल्यू	एस यू/एल डब्ल्यू/ डब्ल्यू डब्ल्यू/00
4	**फर्नीचर एवं उपकरण**	एस यू/एफ ई		
	कार्यालय टेबल	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/ओ टी	एस यू/एफ ई/ओ टी/00
	कंप्यूटर टेबल	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/सी टी	एस यू/एफ ई/सी टी/00
	कुर्सियां	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/सी सी	एस यू/एफ ई/सी सी/00
	सोफा सेट	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/एस एस	एस यू/एफ ई/एस एस/00
	टीपाई	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/टी पी	एस यू/एफ ई/टी पी/00
	डाइनिंग टेबल	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/डी टी	एस यू/एफ ई/डी टी/00
	बुक शेल्फ	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/बी एस	एस यू/एफ ई/बी एस/00
	ऑफिस चेयर	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/ओ सी	एस यू/एफ ई/ओ सी/00
	डायनिंग चेयर	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/डी सी	एस यू/एफ ई/डी सी/00
	आलमारी	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/ए एल	एस यू/एफ ई/ए एल/00
	फाइल कैबिनेट	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/एफ सी	एस यू/एफ ई/एफ सी/00
	स्लाइडिंग कैबिनेट	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/एस सी	एस यू/एफ ई/एस सी/00
	टेलिफोन उपकरण	एस यू/एफ ई	एस यू/एफ ई/टी आई	एस यू/एफ ई/टी आई/00
5	**ऑडियो विजुअल उपकरण**	एस यू/ए वी		
	एल सी डी प्रोजेक्टर	एस यू/ए वी	एस यू/ए वी/एल सी	एस यू/ए वी/एल सी/00

6	कंप्यूटर	एस यू/सी पी		
	लेजर जेट प्रिंटर्स	एस यू/सी पी	एस यू/सी पी/एल आई	एस यू/सी पी/एल आई/00
	डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स	एस यू/सी पी	एस यू/सी पी/डी एम	एस यू/सी पी/डी एम/00
7	वाहन	एस यू/एम वी		
	महिन्द्रा स्कार्पियो वैन	एस यू/एम वी	एस यू/एम वी/वी ए	एस यू/एम वी/वी ए/00
8	पुस्तकें	एस यू/बी के		
	कार्यालय पुस्तकालय पुस्तकें	एस यू/बी के	एस यू/बी के/ओ एल	एस यू/बी के/ओ एल/00
	कॉलेज पुस्तकालय पुस्तकें	एस यू/बी के	एस यू/बी के/सी एल	एस यू/बी के/सी एल/00
9	कैंप उपकरण	एस यू/सी ई	एस यू/ सी ई/सी ई	एस यू/ सी ई/सी ई/00

ΩΩΩΩΩΩ